रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

23 JUN 1982

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 1982/फाल्गुन 25, 1903
No. 80] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 1982/PHALGUNA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1982

सं० 85/82 सीमाशुल्क

सा० का० नि० 249 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 190-सीमाशुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 1979 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है खाद्य पदार्थों, औषधियों, चिकित्सक रीति के औषधि भण्डारों, परिधानों, और कम्बलों को, जब उनका निर्धनों जरूरत मदों में जाति, पंथ या मूलवंश का कोई भेद किये बिना वितरण के लिये भारत में किसी पूर्त संगठन द्वारा विदेश से उसे प्न के रूप में भारत में आयात किया जाये या जब उनका क्रय ों में विदेशी मुद्रा में प्राप्त संदानों में से किया जाये ।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की ले के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से; और

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्:—

(i) माल का आयात करने वाला संगठन सम्बद्ध राज्य सरकार को यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र पेश करता है कि वह ऐसा वास्तविक संगठन है जो राहत कार्य में तथा निर्धनों और जरूरतमदों में, जाति, पंथ या मूलवंश का कोई भेद किये बिना, राहत रमद का वितरण करने में लगा हुआ है या सहायक सीमाशुल्क कलक्टर का इस बारे में अन्यथा ऐसा यह समाधान कर देता है;

(ii) आयात करने वाले संगठन की क्रिया कलापों और वास्तविकताओं उसके कार्य क्षेत्र, उसके वित्तीय स्रोतों, दाता की प्रास्थिति, आयातित माल की प्रकृति, मूल्य और मात्रा, उन व्यक्तियों की खान-पान और पहनावे की आदतों को जिनके बीच वितरण किया जाना है, ध्यान में रखते हुए सहायक सीमाशुल्क कलक्टर का समाधान हो जाता है कि माल निर्धनों और जरूरतमंदों में जाति, पंथ और मूलवंश का कोई भेद किये बिना मुफ्त वितरण के लिये वास्तविक दान है;

(iii) माल का आयात करने वाला संगठन इस बात के लिये वचनबद्ध देता है कि वह माल के आयात किये जाने की तारीख से

छह मास या सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो वह अनुज्ञात करे संबंधित राज्य सरकार से एक प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए कि माल निर्धनों और जरूरतमंदों में, जाति पंथ या मूलवंश का कोई भेद किये बिना वितरित कर दिया गया है, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को पेश करेगा ;

(iv) जहां माल विदेश में प्राप्त विदेशी मुद्रा के संदानों से क्रय किया गया है वहां संगठन को देश से बाहर संदत्त निधि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेश में खाता रखने के लिये अनुज्ञात किया गया है ।

[फा० सं० 460/63/80-सीमा-5]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th March, 1982

No. 85/82-CUSTOMS

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 190-Customs dated the 7th September, 1979, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts foodstuffs, medicines, medical stores of perishable nature, clothing and blankets when imported into India by a charitable organisation in India as free gift to it from abroad or purchased out of donations received abroad in foreign exchange by it, for free distribution to the poor and the needy without any distinction of caste, creed or race, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) the organisation importing the goods furnishes a certificate from the State Government concerned certifying that it is a bona fide organisation engaged in relief work and in the distribution of relief supplies to the poor and the needy without any distinction of caste, creed or race or otherwise satisfies the Assistant Collector of Customs in this regard.

(ii) the Assistant Collector of Customs is satisfied having regard to the activities and bona fides of the importing organisation; the area of its operations; its financial resources; the status of the donor; the nature, value and quantity of the goods imported; the food and sartorial habits of the people amongst whom the imported goods are to be distributed, that the goods are bona fide gift for free distribution to the poor and the needy without any distinction of caste, creed and race;

(iii) the organisation importing the goods gives an undertaking to the effect that it would furnish a certificate from the State Government concerned to the Assistant Collector of Customs within six months from the date of importation of the goods or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow, cerifying that the goods have been distributed to the poor and the needy free of cost without any distinction of caste, creed or race.

(iv) where the goods have been purchased out of donations received abroad in foreign exchange, the organisation has been permitted to maintain an account abroad by the Reserve Bank of India for the purpose of receiving funds donated overseas.

[F. No. 460/63/80-Cus.V]

सं० 86/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 250 (अ):— केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) के जो खंड उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन विधि का बल रखता है, साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 60-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 154 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ;

(ख) क्रम सं० 207 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"208 सं० 85-सीमाशुल्क, तारीख 15 मार्च 1982"

[फा० सं० 460/63/80-सीमा-5]

ए० सी० बक, अवर सचिव,

No. 86/82-CUSTOMS

G.S.R. 250(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60—Customs, dated the 28th February, 1982.

In the Schedule to the said notification,—

(a) Serial No. 154 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 207 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :

"208 No. 85—Customs, dated 15-3-1982."

[F. No. 460/63/80-Cus. V]

A. C. BUCK, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982